न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 14/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्री करणपुर। 2. परविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्री करणपुर।		1. मंगल सिंह पुत्र कर्म सिंह जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्री करणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-08.07.2019

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री अशोक जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांक : 27/01/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिए अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 06/10 के मु.न. 39 के किला नम्बर 13/2 ता 19/01 की कुल 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तथा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 19/02 ता 25/02 की कुल 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 47 एफ की जमाबन्दी संम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 72/72 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 13/1 की कुल 3.163 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि अपने दादा कलवन्त सिंह से जरिए दानपत्र प्राप्त हुई है। प्रार्थी का दादा कलवन्त सिंह व अप्रार्थी संख्या 1 मंगल सिंह सगे भाई है। कलवन्त सिंह व मगल सिंह ने आज से कई वर्षो पूर्व उक्त मुरब्बा नम्बर 39 का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था व उसी अनुसार किलावाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली। मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। किला नम्बर 5 के उतरी पूर्वी कोने के साथ चक 47 एफ की आबादी स्थित है। अर्थात प्रार्थी की कृषि भूमि आबादी से महज 2 बीघा दूरी पर स्थित है। इस कारण प्रार्थी के किलाजात में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने किलाजात 5, 6 में पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा रास्ता के लिए आज से करीब 15-20 वर्ष पूर्व छोडी थी। उक्त रास्ता आज से करीब 10 माह पूर्व तक लगातार चालू था। आज से 10 माह पूर्व उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बन्द कर दिया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अर्थात अपनी जोत के उपभोग के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक या विशिष्ट रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है। यह रास्ता प्रार्थी की आत्यंतिक आवश्यकता है, और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से कई बार पंचायत के समक्ष मांग की है। आज से पांच रोज पूर्व ही प्रार्थी ने पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 से प्रस्तावित रास्ता छोडे जाने की मांग की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:55 IST
Reason: SelfAttested

27/01/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

स्पष्ट कहा कि हम आपको अपनी भूमि में से आने जाने नहीं देगें। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास शेष नहीं रहा। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा किला नम्बर 15 तक रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार यहां यह निवेदन करना उचित होगा कि इसी मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा भूमि दीगर खाता में खातेदार पवित्र सिंह के नाम खातेदारी दर्ज कागजात माल है, जिसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है ना ही उसकी भूमि का कोई विवरण प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में दर्ज किया गया है। यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण के किलाजात में आने-जाने के लिए मुझ अप्रार्थी द्वारा अपने किलाजात 5 व 6 में पूर्वी ओर 1-1 बिस्वा रास्ता के लिए छोडे जाने, कथित रास्ता चालू होने अथवा अप्रार्थी द्वारा 10 माह पूर्व बन्द कर लिए जाने के कथन सरासर गलत अंकित किए गए है जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कथन सरासर गलत अंकित किये गये होने से स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थीगण के नाम इस मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 13/2 से किला नम्बर 25 तक की भूमि दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 39 के दक्षिण की ओर स्थित मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 5 में, मुरब्बा नम्बर 39 के साथ चिपती पूर्व से पश्चिम 2-2 बिस्वा भूमि में मंजूर शुदा पक्की सडक मौजूद है। अर्थात मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 ता 25 तक लगातार 5 बीघा रकबा पक्की सडक से चिपता हुआ स्थित है, प्रार्थीगण उक्त सडक से अपने खेत में आते जाते है तथा यही रास्ता उन्हें सर्व सुलभ है। इस प्रकार प्रार्थीगण के यह कथन कि उनके पास इस मुरब्बा की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, सरासर गलत है। प्रार्थीगण के द्वारा जान बूझ कर न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र आधारहीन रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 812 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 47 एफ की आबादी मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 21 के कोने से दक्षिण - पश्चिम में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 में से रास्ता मंजूर करने पर वादी अपनी कृषि जोत [illegible] 47 एफ [illegible] नम्बर 39 के किला नम्बर 15 में पहुच जाता है। उक्त प्रस्ताव में वादी को [illegible] मीटर दूरी तय करनी पडेगी। विकल्प संख्या 2 में आबादी [illegible] 22 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 व किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोने में मु[illegible]ा नम्बर 46 के किला नम्बर 5,4,32,1 एंव आगे पश्चिम में मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5,4,3,2,1 में पूर्व स्वीकृत रास्ते पर चलने पर रास्ते के उतर में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 से 25 की लाईन आ जाती है, जो कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित रकबा है। जहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:55 IST
Reason: SelfAttested

से वादी अपनी जोत तक पहुंच सकता है। इस विकल्प में प्रार्थी को लगभग 500 मीटर की दूरी आबादी से तय करनी पडेगी एवं मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 25 पर कच्चे खाले के रकबे पर पुलिया बनानी पडेगी। पूर्व में वादी एंव प्रतिवादी द्वारा आपसी घरू समझौते में प्रतिवादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 में से रास्ता दिया हुआ था। जिसकी एवज में वादी द्वारा इसी मुरब्बे के किला नम्बर 15,16,25 में से प्रतिवादी को खाला दिया हुआ था। जो आज दिनांक तक मौके पर चालू है। इस प्रकार पक्षकारन के मध्य पूर्व में हुए घरू समझौते अनुसार विकल्प संख्या 1 अनुसार रास्ता मंजूर किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 06/10 के मु.न. 39 के किला नम्बर 13/2 ता 19/01 की कुल 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 19/02 ता 25/02 की कुल 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी के चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा, किला नम्बर 15 तक रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि मौका पर कोई रास्ता नहीं चल रहा । मु.न. 39 के दक्षिण की ओर स्थित मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 5 में, मुरब्बा नम्बर 39 के साथ चिपती पूर्व से पश्चिम 2-2 बिस्वा भूमि में मंजूर शुदा पक्की सडक मौजूद है। प्राथीगण उक्त सडक से अपने खेत में जाते है, व प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार पूर्व में वादी एंव प्रतिवादी द्वारा आपसी घरू समझौते में प्रतिवादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 में से रास्ता दिया हुआ था। जिसकी एवज में वादी द्वारा इसी मुरब्बे के किला नम्बर 15,16,25 में से प्रतिवादी को खाला दिया हुआ था। जो आज दिनांक तक मौके पर चालू है। इस प्रकार पक्षकारन के मध्य पूर्व में हुए घरू समझौते अनुसार चक 47 एफ की आबादी मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 21 के कोने से दक्षिण - पश्चिम में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 में से रास्ता मंजूर करने पर वादी अपनी कृषि जोत चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 15 में पहुच जाता है। उक्त प्रस्ताव में वादी को आबादी से 50 मीटर दूरी तय करनी पडेगी। अतः मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5 व 6 में रास्ता मंजूर किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के मु.न. 39 के किला न. 5 व 6 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 2 बिस्वा भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 को 2 बिस्वा भूमि देना होगी जो प्रार्थी अपनी भूमि में से अप्रार्थी के साथ चिपती भूमि में से देगा या डीएलसी रेट की दोगुनी राशि का भुगतान करेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस

Signature Not Verified
Digitally Signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:55 IST
Reason: SelfAttested

रविन्द्र सिंह आदि बनाम मंगल सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए, प्रकरण संख्या 14/2019

आदेश का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:55 IST
Reason: SelfAttested